न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 08/2022

अपीलांट –	***बनाम***	**रेस्पोडेंट्स –**
आमद पुत्र ओसमान जाति मुसलमान निवासी सुकालिया तहसील चौहटन जिला बाड़मेर		1. पन्नू पुत्र ओसमान जाति मुसलमान निवासी सुकालिया तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 2. आरबी पुत्री अकबर पत्नि अयूब जाति मुसलमान निवासी मीरे का तला तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 3. प्रेमाराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी डउकियों का तला, बीजराड तहसील चौहटन जिला बाड़मेर 4. तहसीलदार चौहटन

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक भू.अ./2020/1236 दिनांक 19.06.2020 जो तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री केसराराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पो0 सं. 1 एंव 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित।
3. रेस्पो0 सं. 4 प्रर्फोमा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 16.04.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार चौहटन के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक भू.अ./2020/1236 दिनांक 19.06.2020 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं [illegible] सुकालिया पटवार मण्डल बीजराड में खेत खसरा [illegible] भूमि खातेदारान आमद पुत्र ओसमान, पनू पुत्र ओसमान, [illegible] कौम मुसलमान, प्रेमाराम पुत्र मघाराम कौम जाट सा. देह सुकालिया के [illegible] खातेदारी में दर्ज [illegible] उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 18.06.2020 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:26:04 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी बीजराड की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार चौहटन द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 1236 दिनांक 19.06.2020 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.01.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि मौजा मौजा सुकालिया पटवार मण्डल बीजराड में खेत खसरा संख्या 705 रकबा 138–0 बीघा भूमि आई हुए हैं। उक्त भूमि में अपीलांट एवं रेस्पों संख्या 01 से 03 अपने–अपने हिस्सों माफिक बाहमी तौर से किए गए बंटवाडा अनुसार माफिक कृषि जोतो का विभाजन करने बाबत उत्तरदाता संख्या 04 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उत्तरदातागण संख्या 01 से 03 का विश्वास कर अपीलांट ने कुछ खाली पेपरों पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशानात किये। अपीलांट द्वारा पुछने पर उत्तरदातागण संख्या 01 से 03 द्वारा बताया गया कि उक्त नक्शा में पटवार हल्का मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार ढाणी, बाडे को बिना प्रभावित करते हुए सही रंग भरेगें, परन्तु उत्तरदाता संख्या 01 से 03 ने हल्का पटवारी से मिलावट कर नक्शा अपनी मर्जी से भरवा कर दिनांक 19.06.2020 को बंटवाडा करवा दिया, जो निरस्त योग्य है। अपीलांट व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि इस विभाजन के नक्शे का ज्ञान अपीलांट को नहीं हुआ तथा अरसा 10–15 दिन पूर्व उतरदाता मौके पर आकर अपीलांट के कब्जे काश्त में जबरन ट्यबवैल खोदने लगा। जिस पर अपीलांट को अपने हक संशयप्रद लगे तब अपीलांट ने उक्त सहमति विभाजन की हल्का पटवारी से नकलें मांगी जो नकले अपीलांट को दिनांक 11.01.2022 को प्राप्त हुई। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार कर निर्णय उपरान्त अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का भी निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:26:04 IST
Reason: SelfAttested

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 सूचना बावजूद रहने से एकपक्षीय सुनवाई अमल में लाई गई।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

7. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा सुकालिया पटवार मण्डल बीजराड में खेत खसरा संख्या 705 रकबा 138–0 बीघा भूमि खातेदारान आमद पुत्र ओसमान, पनू पुत्र ओसमान, मारबी पत्नी अयूब कौम मुसलमान, प्रेमाराम पुत्र मघाराम कौम जाट सा. देह सुकालिया के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 18.06.2020 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर हलका पटवारी बीजराड की रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार चौहटन द्वारा उक्त अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 1236 दिनांक 19.06.2020 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.01.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन विभाजन मौके पर भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास के अनुसार नहीं किया गया। जिससे अपीलांट की ढाणी, बाडे इत्यादि उतरदातागण के हिस्से मे चली गई। पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवाडे अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जे काश्त में भारी भिन्नता है। जिस कारण अपीलांट की ढाणी, बाडे इत्यादि उतरदातागण के कब्जे मे चले गये है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि पक्षकारान के भौतिक कब्जे के अनुसार नहीं किया गया है बल्कि उतरदाता के दबाव मे रहते हुए अच्छी किस्म की भूमि अपने हिस्से मे रखते हुए तथा उबड–खाबड व कम उपजाउ भूमि अपीलांट के हिस्से में रखते हुए बंटवाडा किया गया है जो निरस्त योग्य है। इस प्रकार अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन स्वीकृत किया जाना प्रकट होता है ऐसे में अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश एवं उसके अनुसरण में राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज की जानकारी नहीं होने का कथन मानने योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा जानकारी होने के बावजूद इस अपीलाधीन सहमति बंटवाडे के करीब 2 वर्ष बाद हस्तगत अपील पेश की गई है तथा विलम्ब का कोई ठोस कारण नहीं दिया है। इस प्रकार हस्तगत अपील मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील मयाद बाहर होने व सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.08.05 15:26:04 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर